



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273744
CG-DL-E-23062026-273744

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3213]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3213]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3346(अ).— केन्द्रीय सरकार, (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं. 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. ईएक्सपीएल-13011(27)1/2026- ईएक्सपीएल-2-पीएनजी (ई-56590)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3346(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 23rd day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 40 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Oil Industry (Development) Act, 1974, shall come into force.

[F. No. Expl-13011(27)/1/2026-Expl-II-PNG (E-56590)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.